जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

:–सूचना:–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सूरजपोल गेट गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गोविन्द नगर के **भूखण्ड संख्या 18 क्षेत्रफल 216.66 श्रीमती चन्द्रा हीरवात पत्नी श्री रोशन हीरावत माली द्वारा** जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत् ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड का आंशिक भाग ग्राम बदरवास के खसरा नं. 90 प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में जविप्रा के नाम दर्ज है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/खातेदार को आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्डों की अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगीं।

उपायुक्त,
पीआरएन (दक्षिण–प्रथम)
जोन जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त
पीआरएन (दक्षिण–प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

क्रमांक:–जविप्रा/उपा.पीआरएन(दक्षिण प्रथम)/22/डी– 1480
दिनांक:– 18/7/22

PRO/R-934
20/7/2022

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

:—आम सूचना:—

नारायण विहार समिति द्वारा निजी खातेदारी नारायण विहार डी ब्लाक योजना का आवंटन/नियमन शिविर आयोजित करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर इस कार्यालय के प्रत्राकः—जविप्रा/उपा/पीआरएन/दक्षिण—प्रथम/2021/डी 765 दिनांक 24.09.2021 एवं डी—866 दिनांक 02.05.2022 से आम सूचना जारी कर योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा न. एवं भूखण्डधारियो की सूची से संबंधित किसी खातेदार/हितधारक/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य से आपत्ति आमंत्रित की गई थी। उक्त आम सूचना जारी होने के पश्चात् कुछ व्यक्तियो ने माननीय अपीलीय अधिकरण, जविप्रा, जयपुर में अपीलदायर कर दिये जाने पर माननीय अपीलीय अधिकरण ने निर्णय दिनांक 06.05.2022 से कार्यालय मे प्राप्त समस्त आपत्ति एवं भविष्य में प्राप्त होने वाली अन्य आपत्तियो के संबंध में अतिम निर्णय लेने के पश्चात् नारायण विहार डी ब्लॉक के नियमन/आवंटन शिविर आयोजित करने के निर्देश प्रदान किये है। नारायण विहार डी ब्लॉक की पूर्व में प्राप्त आपत्तियॉ जोन कार्यालय में उपलब्ध नही है।

अतः योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नं. एवं भूखण्डधारियो से संबंधित अगर किसी खातेदार/हितधारक/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था/ व अन्य किसी को आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात् 3 दिवस में कार्यालय पृथ्वीराज नगर दक्षिण—प्रथम सेक्टर 12, इन्द्र पथ सामुदायिक केन्द के पास, मानसरोवर, जयपुर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वंय की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा नियमानुसार आवंटन/नियमन शिविर लगाने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त,
पीआरएन (दक्षिण—प्रथम)
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-935
20/7/22

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

क्रमांकः—जविप्रा/उपा.पीआरएन(दक्षिण प्रथम)/22/डी—1462
दिनांकः—18/07/2022

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्री मनोज तावडीवाल पुत्र श्री ग्यारसी लाल सैनी बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	01	197.27

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक **14.03.22** के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्व निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा,जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांकः जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी- 1467/19.07.22

PRO/R-936
20/7/22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}
E:\arvind\VIGYAPTI JOINT.docx

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपायुक्त जोन–1/2021/डी– 2095 दिनांकः– 19/7/2022

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर, की योजना मालवीय नगर के भूखण्ड संख्या–बी–75ए का आवंटन श्री राजकुमार राजवंशी पुत्र श्री वासुदेव प्रसाद को किया गया था। श्री राजकुमार राजवंशी की मृत्यु दिनांक 04.01.2002 मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। श्री राजकुमार राजवंशी की पत्नी श्रीमती मिथिलेश राजवंशी की मृत्यु 21.05.2021 को मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। जिनके वारिस दो के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पर नामहस्तान्तरण पत्र/फ्री–होल्ड पट्टा चाहा गया है। उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर (1) श्री रमित राजवंशी (2) श्री रजत राजवंशी पुत्रान् श्री राजकुमार राजवंशी नामहस्तान्तरण पत्र/फ्री–होल्ड पट्टा चाहा गया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तांतरण पत्र इनके पक्ष में जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 15 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-937
20/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004
फोन : 0141–2573150 (0) 0141–2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in

i /lallu/Raghunath Ji/vigyapti

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन–12/2022/डी– 1920 दिनांक : 20-7-2022

सार्वजनिक सूचना

जोन–12 में स्थित अनुमोदित योजनाओं के भूखण्डों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	मूल आवंटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन/रजिस्टर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	23	भांकरोटा सिरसी रोड	हरीनारायण शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा	जरिये अनरजिस्टर्ड इकरारनामा, मुख्त्यारनामा आम, वसीयतनामा से	श्रीमती अनिता देवी शर्मा पत्नि स्व. श्री प्रदीप कौशिक
2	185	भांकरोटा सिरसी रोड	रमेश सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह	जरिये अनरजिस्टर्ड इकरारनामा, मुख्त्यारनामा आम, वसीयतनामा से	श्रीमती कान्ता देवी पत्नि श्री गोपाल लाल पारीक
3	124	भांकरोटा सिरसी रोड	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नि श्री मूलचन्द वर्मा	जरिये अनरजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा आम व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से	श्रीमती आशा देवी पत्नि श्री विरेन्द्र सिंह
4	46	भांकरोटा सिरसी रोड	सुश्री निर्मला भाटिया पुत्री प्रकाश लाल भाटिया	जरिये अनरजिस्टर्ड इकरारनामा, मुख्त्यारनामा आम, वसीयतनामा से	श्रीमती कुसुम मिश्रा पत्नि श्री विजय मिश्रा
5	145	भांकरोटा सिरसी रोड	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नि श्री बालकृष्ण	जरिये अनरजिस्टर्ड इकरारनामा, मुख्त्यारनामा आम, वसीयतनामा व रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र व मृत्यू प्रमाण पत्र से	श्रीमती रिता देवी पत्नि स्व श्री देवेन्द्र सिंह
6	237	बिन्दायका ईडब्ल्यूएस	श्री लालचन्द पुत्र ताराचन्द	मृत्यू प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से	श्री दिनेश सोनी पुत्र श्री रामचन्द्र सोनी
7	107	बिन्दायका ईडब्ल्यूएस	श्रीमती कुसुम पत्नि श्री पूनमचन्द	जरिये अनरजिस्टर्ड इकरारनामा, मुख्त्यारनामा आम व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से	श्रीमती अर्चना सिंह पत्नि श्री कृष्ण नन्दन सिंह
8	316	बिन्दायका ईडब्ल्यूएस	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नि श्री कन्हैयालाल	जरिये अनरजिस्टर्ड इकरारनामा, मुख्त्यारनामा आम व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से	श्रीमती पूजा देवी पत्नि श्री कन्हैयालाल
9	205	बिन्दायका ईडब्ल्यूएस	श्री राजीव भटनागर पुत्र श्री एम.एन. भटनागर	जरिये अनरजिस्टर्ड इकरारनामा, मुख्त्यारनामा आम व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से	श्रीमती आशा वर्मा पत्नि श्री अशोक कुमार टांक
10	317	बिन्दायका ईडब्ल्यूएस	श्री विक्रम सिंह राजावत पुत्र श्री रामजीलाल राजावत	जरिये अनरजिस्टर्ड इकरारनामा, मुख्त्यारनामा आम, वसीयतनामा व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से	श्रीमती संगीता देवी पत्नि श्री मुकेश मेहतो
11	197	बिन्दायका ईडब्ल्यूएस	श्री सुभाष चन्द जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन	जरिये अनरजिस्टर्ड इकरारनामा, मुख्त्यारनामा आम, वसीयतनामा व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से	श्री दिलीप राज वर्मा पुत्र श्री महेन्द्र प्रकाश वर्मा
12	194	बिन्दायका ईडब्ल्यूएस	श्री राहुल कुमार देगला पुत्र श्री कैलाश चन्द	जरिये अनरजिस्टर्ड इकरारनामा, मुख्त्यारनामा आम, वसीयतनामा व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से	श्री प्रेमप्रकाश शर्मा व चन्द्रप्रकाश शर्मा पुत्रान् गोविन्द प्रसाद सिठा
13	331	बिन्दायका ईडब्ल्यूएस	श्रीमती लाल कवंर पत्नि श्री आसु सिह	जरिये अनरजिस्टर्ड इकरारनामा, व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से	श्रीमती शैल देवी पत्नि श्री वकील प्रसाद
14	51बी	वृन्दावन विहार	श्रीमती सुरज्ञान कवंर पत्नि श्री रामसिंह राठौड	मूल दस्तावेज गुम हो जाने के संबंध में पुलिस थाना भांकरोटा जिला जयपुर (पश्चिम) में दर्ज एफ.आई.आर के आधार पर	श्रीमती सुरज्ञान कवंर पत्नि श्री रामसिंह राठौड

PRO/JR-935 20/7/22

उपरोक्त अंकित आवेदकों को नाम हस्तान्तरण पत्र/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

प्रतिलिपि :–जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को उक्त प्रोग्राम का समाचार पत्र में प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
दुरभाष – +91–141–2574798 : ईपीबीएक्स – +91–141–2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स–+91–141–2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांक– जविप्रा / उपा. / जोन–12 / 22 / डी– 2004 दिनांक 19-7-2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
जविप्रा, जयपुर।

विषयः–90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (सुओमोटो) की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र में प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-937
20/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-2004 दिनांक 19-7-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31 दिसम्बर 2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि.** की योजना **श्री श्याम विहार विस्तार–तृतीय** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 ''क'', धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास, तहसील सांगानेर।	196 197	0.2800 0.0700	चन्दालाल पुत्र घींसा हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. खातेदार। भंवरलाल पुत्र घींसा हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार। मुकेश पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/6 जाति जाट सा. देह खातेदार। लल्लूराम पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/6 जाति जाट सा. देह खातेदार।
कुल किता	**2**	**0.3500**	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.17 (1) नविवि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 01.07.2022 के बिन्दु संख्या 1 से 6 एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.17 (1) नविवि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 14.07.2022 के कम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस मे कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 19-7-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
जोन–12

PRO/R-939
20/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक– जविप्रा/उपा./जोन–12/22/डी–2007 दिनांक 19-7-2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
जविप्रा, जयपुर।

विषयः–90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (सुओमोटो) की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र में प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO R-940 20/7/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-2007

दिनांक 19-7-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31 **दिसम्बर 2021** से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति लि.** की योजना **श्री श्याम रेजीडेन्सी** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थन अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम भांकरोटा कलां, तहसील सांगानेर।	3035/269	0.5400	दिवाकर पुत्र हरिराम हि. 1/3 जाति सैनी सा. प्लाट नं. 37, भैरव नगर ईएसआई हॉस्पिटल के पास हटवाडा रोड जयपुर खातेदार। राज पत्नि हरिराम करोरा हि. 1/3 जाति सैनी सा. प्लाट नं. 37, भैरव नगर ईएसआई हॉस्पिटल के पास हटवाडा रोड जयपुर खातेदार। हरिराम पुत्र भैरूराम हि. 1/3 जाति सैनी सा. प्लाट नं. 37, भैरव नगर ईएसआई हॉस्पिटल के पास हटवाडा रोड जयपुर खातेदार।
कुल किता	**1**	**0.5400**	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.17 (1) नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 01.07.2022 के बिन्दु संख्या 1 से 6 एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.17 (1) नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 14.07.2022 के कम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस मे कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 19-7-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी

जोन–12

PRO/R-940
20/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक– जविप्रा / उपा. / जोन–12 / 22 / डी– 2001 दिनांक 19-7-2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
जविप्रा, जयपुर।

विषयः–90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (सुओमोटो) की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र में प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-941
20/7/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-2001 दिनांक 19-7-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **बाबा रामदेव गृह निर्माण सहकारी समिति लि.** की योजना **आदर्श कॉलोनी** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थन अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम भांकरोटा कलां, तहसील सांगानेर।	456/2666	0.2600	दीपक पुत्र दुर्गाप्रसाद हिस्सा 1/4 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा. देह खातेदार धर्मेन्द्र पुत्र दुर्गाप्रसाद हिस्सा 1/4 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा. देह खातेदार मंजूदेवी पत्नि दुर्गाप्रसाद हिस्सा 1/4 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा. देह खातेदार सपना पुत्री दुर्गाप्रसाद हिस्सा 1/4 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा. देह खातेदार
	492	0.0600	
	493	0.0600	
	494	0.1000	
	495	0.0200	
कुल किता	**5**	**0.5000**	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के कम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस मे कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 19-7-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
जोन–12

PRO/R-941
20/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक– जविप्रा/उपा./जोन–12/22/डी– 1998 दिनांक 19-7-2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
जविप्रा, जयपुर।

विषयः–90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (सुओमोटो) की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र में प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO R-942
20/7/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-1998 दिनांक 19-7-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि.** की योजना **प्रताप विहार** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थन अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम हाथोद, तहसील जयपुर।	514	4.0974	कजोड पुत्र खांगा हिस्सा 1/5 घीसी पत्नि लछमना हिस्सा 1/20 पॉचू पुत्र खांगा हिस्सा 1/5 बाबूलाल पुत्र लछमना हिस्सा 1/20 भगवाना पुत्र खांगा हिस्सा 1/5 मूला पुत्र खांगा हिस्सा 1/5 रतनीदेवी पत्नि बोदूराम हिस्सा 1/20 सुवालाल पुत्र लछमना हिस्सा 1/20 जाति बलाई सा. देह खातेदार।
कुल किता	**1**	**4.0974**	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के कम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस मे कमरा न. 312, पार्किग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 19-7-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
जोन–12

R942
20/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक– जविप्रा / उपा. / जोन–12 / 22 / डी– 2013 दिनांक 19-7-2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
जविप्रा, जयपुर।

विषयः–90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (सुओमोटो) की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र में प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-943
20/7/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–क(8) के अन्तर्गत

संख्या......D-2013 दिनांक 19-7-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **बदनपुरा (फकीरो की डूंगरी) गृह निर्माण सहकारी समिति** की योजना **नोर्थ ऐवेन्यू** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थन अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम नींदड, तहसील आमेर।	2781	0.3200	दयाराम पूनिया पुत्र सूरजाराम पूनिया हिस्सा 1/3 जाति जाट नि. प्लाट नं. ए–54 हनुमान नगर खातीपुरा जयपुर खातेदार । भूराराम पुत्र गंगाजलराम हिस्सा 1/3 जाति जाट नि. 5–पी पी घुमडवाली तहसील पदमपुर जिला गंगानगर खातेदार। भागीरथ पूनिया पुत्र गोधूराम पूनिया हिस्सा 1/3 जाति जाट नि. प्लाट नं. ए–51, हनुमाननगर खातीपुरा जयपुर खातेदार।
	2782	0.3000	
	2783	0.3300	
	2784	0.2800	
	2785	0.1800	
	2786	0.2500	
	2788	0.0800	
	2789	0.0900	
	2904	0.0900	
	2905	0.1700	
	2907	0.3300	
	2911	0.1300	
	2912	0.3100	
	2913	0.1300	
	2914	0.1800	
कुल किता	**15**	**3.1700 हैक्टेयर**	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के कम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस मे कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 19-7-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी

जोन–12

PRO/R-943
20/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक– जविप्रा / उपा. / जोन–12 / 22 / डी–2010 दिनांक 19-7-2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
जविप्रा, जयपुर।

विषयः–90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (सुओमोटो) की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र में प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRCR-944
20/7/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-2010

दिनांक 19-7-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का **31 दिसम्बर 2021** से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि.** की योजना **हनुमान एन्क्लेव** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर।	585 586 587 588	1.2899	मैसर्स एम.टेक डवलपर्स लि. हिस्सा 15/34 ए.एन.एस. हाउस 144/2 आश्रम मार्ग मथुरा रोड नई दिल्ली जरिये अधिकृत प्रतिनिधि राजेश शर्मा पुत्र रोहिताश शर्मा खातेदार।
	590	0.7208	मैसर्स एम.टेक डवलपर्स लि. हिस्सा पूर्ण ए.एन.एस.हाउस 144/2 आश्रम मार्ग मथुरा रोड नई दिल्ली खातेदार।
कुल किता	**5**	**2.0107 में से 1.2899**	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.17 (1) नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 01.07.2022 के बिन्दु संख्या 1 से 6 एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.17 (1) नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 14.07.2022 के कम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस मे कमरा न. 312, पार्किग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 19-7-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी

जोन–12

PRO R-944
20/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक– जविप्रा/उपा./जोन–12/22/डी– 1923 दिनांक 20-7-2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
जविप्रा, जयपुर।

विषयः–90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (सुओमोटो) की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र में प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-946
20/7/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-1923 दिनांक 20-7-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लि.** की योजना **बालाजी विहार–33** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थन अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (बीघा/बिस्वा)	स्वामित्व
ग्राम हाथोज तहसील जयपुर।	446	27 बीघा 9 बिस्वा	बोदू पुत्र दूला हिस्सा 1/4 जाति माली सा.देह खातेदार।
कुल किता	**1**	**27 बीघा 9 बिस्वा में से 6 बीघा 17 बिस्वा**	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के कम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस मे कमरा न. 312, पार्किग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 20-7-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
जोन–12

PRO/R-946
20/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा / जोन–5 / 2022 / डी– 2179 दिनांक :– 19.7.22

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन / नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन / नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	—	बी–38	श्याम नगर	श्रीमती संतोष शर्मा पत्नी स्व. श्री सुखवीर सिंह शर्मा	श्री सुखवीर सिंह शर्मा पुत्र श्री किशन लाल शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
2.	—	176	अवधपुरी	श्री लालचन्द सैनी पुत्र स्व. श्री कालूराम सैनी	श्री मिट्ठी लाल पुत्र श्री बलदेव	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र

उपायुक्त जोन–5

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250}: फैक्स - +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2022-23/101982 दिनांक : 20/07/2022

लोक सूचना

मैसर्स राजस्थान डिजिटल टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक महेन्द्र सिंह राठौड पुत्र श्री छीतर सिंह राठौड पंजीकृत कार्यालय प्लाट नं. ई–172ए, रमेश मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:–

क.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
1.	बिन्दायका, जयपुर (जयपुर)	मैसर्स राजस्थान डिजिटल टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय प्लाट नं. ई–172ए, रमेश मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर	899/458 902/458	0.5375 0.5375
		कुल किता	2	1.0750 हैक्टयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 20-07-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर